

1/27

उपरोक्त पत्रावली अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। उपरोक्त पत्र है / पत्रविलंब है। अतः पत्रावली दिनांक 31-8-22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

3/8/27

उपरोक्त पत्र उपरोक्त पीएमजीए अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। उपरोक्त पत्र है / पत्रविलंब है। अतः पत्रावली दिनांक 29-9-22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

9/10/23

पत्रावली पेश हुई, अभिमानकमल द्वारा नामिक का रक्षण/रक्षण रखने से पत्रावली दिनांक 5/10/23 को पेश हो।

5-10-23

पत्रावली पेश हुई, वकिल सार्वजनिक उपस्थित विपक्षीय के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिले शांण्ड (कुवेरापे) विपक्षीय को फिलॉस्फो कारकड कर आवाजे डिलापी जाके के बाद की अनुपस्थित। इन्हे निकले एक तरफा कार्रवाई छिपे जाने के आदेश छिपे जाते हैं वकिल सार्वजनिक का पाठपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रत्येक से लिखा जाकर शांण्ड किया गया। पत्रावली फिलॉस्फो लेकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीछासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 75/23 प्रा.पत्र

1- श्री गोविन्द कुंवर ज० स्व० श्री रघुवीर सिंह राजपूत निवासी-समेधिया तहसील
[वर्ग 1A]

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री कानसिंह ज० श्री ईश्वर सिंह राजपूत निवासी-समेधिया तहसील-माण्डल (वर्ग 1A)
(सिद्धांतित प्रा.पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 05-10-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम समेधिया पटवार हल्का दोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 1292, 376, 435, 447 कुल किता 0.4 रकबा 2.7316 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29-05-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अचलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेशों अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर रबीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रबीकार किया जाकर ग्राम समेधिया पटवार हल्का दोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 1292, 376, 435, 447 कुल किता 0.4 रकबा 2.7316 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मीथार को 1200 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा